प्रेषक,

सचिव,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद,
रामनगर, (नैनीताल)।

सेवा में,

प्रबन्धक,
नेशनल कन्या इण्टर कालेज
खानपुर, हरिद्वार।

पत्रांकः— मान्यता/ 1022-26 /2019—20 दिनांकः 05 ~~फरवरी~~ मई, 2020

विषयः— इण्टर अतिरिक्त विषय इतिहास एवं शिक्षाशास्त्र की परीक्षा के लिये मान्यता प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

शासनादेश संख्याः—115/XXIV—4/2019—5(01)/2019 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग—4, देहरादून दिनांकः 23 जनवरी, 2020 के द्वारा आपके विद्यालय को **विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा—11(क)** के अन्तर्गत **इण्टर अतिरिक्त विषय इतिहास एवं शिक्षाशास्त्र** की वित्त विहीन मान्यता दिये जाने की स्वीकृति का आदेश प्रदान किया गया है।

उक्त शासनादेश के कम में विद्यालय को परिषद् की **वर्ष—2021** की **इण्टर अतिरिक्त विषय इतिहास एवं शिक्षाशास्त्र** की परीक्षा से निम्नलिखित विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ मान्यता पत्र निर्गत किया जाता है।

<u>सामान्य प्रतिबन्ध</u>

(1) इस पत्र में वर्ग/विषय की नवीन 11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण,साज—सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान,प्राभूत, सुरक्षित कोष, आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से मुख्य शिक्षा अधिकारी को पूर्ण रूपेण संतुष्ट करें। इसके लिये संस्थाधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2) इस आदेश पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही मुख्य शिक्षा अधिकारी से 11वीं कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय। इसके लिये सिंगल सीटेड कुर्सी व मेज ही स्वीकार किये जायेंगे।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों में अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति नियमानुसार की जाय।

(5) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य की नियुक्ति की जाय।

(6) नवीन वित्त विहीन मान्यता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि सम्बन्धित विद्यालय द्वारा भविष्य में अनुदान के लिये मांग नहीं की जायेगी तथा नवीन कक्षायें संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयं वहन करेंगे।

कृ0प0उ0

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में अंकित विवरण/साक्ष्य के असत्य पाये जाने पर विद्यालय की प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।

(ख) विद्यालय में अवैधानिक कक्षायें संचालित न की जाय।

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर अतिरिक्त विषय	—	इतिहास एवं शिक्षाशास्त्र।

भवदीय

(डॉ0 नीता तिवारी)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
रामनगर (नैनीताल)।

पृ0सं0:—मान्यता/ 1022-26 /2019—20, दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपिः—निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

(1) सभापति/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
(2) मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
(3) मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार।
(4) इण्टर परीक्षा अनुभाग/कार्यालय प्रति।

(डॉ0 नीता तिवारी)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
रामनगर (नैनीताल)।

मा—19

प्रेषक,

अपर सचिव,
उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद,
रामनगर (नैनीताल)

सेवा में,

प्रबन्धक, नेशनल कन्या इण्टर कालेज
खानपुर- हरिद्वार (उत्तरांचल)

दिनांक 23-12-2003

पत्र संख्या : उ0 शि0 एवं प0 प0/मान्यता/रामनगर 979

विषय :– आपका ~~हाई स्कूल~~/इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए ~~नवीन~~/अतिरिक्त (वर्ग/विषय) की मान्यता का प्रार्थना पत्र।

महोदय,

शासन से मान्यता समिति एवं सभापति उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1987/1921 की धारा–7 क/धारा 9 (4) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को ~~हाई स्कूल~~/इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित ~~बालक~~/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद की 200 4 की ~~हाई स्कूल~~/इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ ~~नवीन~~/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में वित्तविहीन मान्यता दिये जाने का आदेश प्रदान ~~करते~~ किया है ।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इस पत्र में वर्ग/विषय की नवीन ~~9वीं~~/11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण, सज्जा, शिक्षण–सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला विद्यालय निरीक्षक को पूर्णरूपेण संतुष्ट करें। इसके लिए संस्थाधिकारी ही स्वयमेव उत्तरदायी होंगे।

(2) इस आदेश–पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक/~~संयुक्त शिक्षा~~ निदेशक (मा0) से ~~9वीं~~/11वीं कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय, अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय। इसके लिए सिंगिल सीटेड डैस्क व चेयर्स ही स्वीकार किये जायेंगे।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अंशकालिक अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति नियमानुसार की जाय।

(5) ~~नियमानुसार पूर्ण योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय।~~

(6) नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयमेव वहन करें।

(कृ0 प0 उ0)

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।

(ख) कक्षा संचालन से पूर्व मान्यता वर्ग की साज- सज्जा, शिक्षण सामग्री की व्यवस्था पूर्ण कर ली जाय ।

(ग) कक्षा- कक्षों तथा प्रयोगशाला का निर्माण मानकानुसार 01 वर्ष के अन्दर पूर्ण होनी चाहिये ।

(घ) समीपस्थ विद्यालयों पर कुप्रभाव पड़ने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ।

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर विज्ञान वर्ग	–	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान जीव विज्ञान, गणित
वाणिज्य वर्ग	–	बहीखाता एवं लेखा संगठन व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार, अधिकोषण तत्व

टिप्पणी– कक्षा 11 में प्रवेश हेतु कम से कम 25, 25 छात्र उपलब्ध होने तथा इस पत्र में अंकित समस्त प्रतिबंधों (नियुक्तियों को छोड़कर) की पूर्ति होने के उपरान्त ही निरीक्षक/निरीक्षिका कृपया कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान करें।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(अपर सचिव)

रामनगर, नैनीताल ।

पृष्ठांकन संख्या : उ0 शि0 एवं प0 प0/मान्यता/रामनगर

तद दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) जिला विद्यालय निरीक्षक हरिद्वार ।
(2) मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल – पौड़ी ।
(3) शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा निदेशालय, उत्तरांचल, 2 सुभाष रोड, देहरादून।

(अपर सचिव)

रामनगर, नैनीताल ।

पी0एस0यू0 (आर0 ई0) 298 मा0शि0प0/599–5–12–2002–500 प्रतियां (कम्प्यूटर/ऑफसेट)

संख्या– 115 /XXIV–4/2019–5(01)2019

प्रेषक,

गिरधर सिंह भाकुनी,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद,
रामनगर, नैनीताल।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4 देहरादून दिनांकः 23 जनवरी, 2020

विषय– मान्यता प्रदान करने हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अकादमिक/30250/मान्यता/2018–19 दिनांक 27 जनवरी, 2019 सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विद्यालयी शिक्षा अधिनियम–2006 की धारा–11(क) के अधीन सभापति/सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध कराई गयी आख्या के आधार पर तालिका में अंकित विद्यालय को मान्यता प्रदान किये जाने हेतु श्री राज्यपाल एतद् द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

विद्यालय का नाम	मान्यता का प्रकार	मान्यता वर्ष
1	2	3
नेशनल कन्या इण्टर कालेज खानपुर, हरिद्वार।	इण्टर अतिरिक्त विषय इतिहास एवं शिक्षाशास्त्र की वित्त विहीन मान्यता।	परीक्षा वर्ष, 2021

2. उक्त मान्यता के सिलसिले में यदि किन्हीं प्रतिबन्धों/शर्तो की पूर्ति अवशिष्ट हो, तो उन्हें निर्धारित अवधि के भीतर संस्थाधिकारी को उन शर्तो/प्रतिबन्धों की पूर्ति के निर्देश दे दिये जाय।

3. संस्था को उक्त प्रस्तर–1 के स्तम्भ–2 के अनुसार इण्टर अतिरिक्त **विषय इतिहास एवं शिक्षाशास्त्र की परीक्षा** वर्ष 2021 से वित्तविहीन मान्यता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि सम्बन्धित विद्यालय द्वारा **भविष्य में अनुदान के लिए मॉग नहीं की जायेगी।**

4. कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक/अग्रेत्तर कार्यवाही शीघ्र सम्पादित की जाय।

भवदीय,

(गिरधर सिंह भाकुनी)
उप सचिव।

...2..

संख्या– (1)/XXIV–4/2020–5(01)2019 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, जनपद–हरिद्वार।
4. सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरधर सिंह भाकुनी)
उप सचिव।

प्रेषक,

मुख्य शिक्षा अधिकारी
हरिद्वार ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
नेशनल कन्या इण्टर कालेज
खानपुर, हरिद्वार।

पत्रांक :मान्यता (मा0)/ 602 /2020–21 दिनांक :22 मई 2020

विषय :**इण्टर अतिरिक्त विषय इतिहास एवं शिक्षाशास्त्र की परीक्षा के लिए मान्यता मिलने के फलस्वरूप कक्षा–11 संचालन की अनुमति विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–115/XXIV-4/2019–5(01)/2019 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4 देहरादून दिनांक 23 जनवरी 2020 के अनुक्रम में सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल के पत्रांक–मान्यता/1022–26/2020–21 दिनांक 05 मई 2020 के अनुसार **नेशनल कन्या इण्टर कालेज, खानपुर**, हरिद्वार को विद्यालयी शिक्षा अधिनियम–2006 की धारा–11 (क) के अन्तर्गत **इण्टर अतिरिक्त विषय इतिहास एवं शिक्षाशास्त्र** की वित्तविहीन मान्यता परिषद् की **वर्ष–2021** की परीक्षा से सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की गई है।

अतः परिषद् द्वारा निर्गत मान्यता पत्र में उल्लिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों के क्रम में निम्नवत् वर्ग व विषयों में कक्षा–11 संचालन की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि नवीन कक्षाएं संचालित किये जाने का समस्त व्ययादि के भार का समस्त उत्तरदायित्व प्रबन्ध तंत्र एवं संस्थाधिकारी का होगा । विद्यालय द्वारा शासन के प्रचलित नियमों एवं भविष्य में जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा । संस्था द्वारा किसी भी प्रकार की अवैधानिक कक्षाएं संचालित नहीं की जायेंगी। संस्था द्वारा प्रेषित सूचनाओं में यदि कोई तथ्य छिपाया गया अथवा गलत पाया जाता है, तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी ।

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर अतिरिक्त विषय		इतिहास एवं शिक्षाशास्त्र

भवदीय,

(डा0 आनन्द भारद्वाज)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
हरिद्वार ।

पृ0सं0 : मान्यता (मा0)/ /2019–20 दिनांक–तदैव ।

प्रतिलिपि, निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

01– सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल ।
02– मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी ।
03– खण्ड शिक्षा अधिकारी, खानपुर ।
04– प्रधानाचार्य, नेशनल कन्या इण्टर कालेज, खानपुर, हरिद्वार ।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
हरिद्वार।

प्री.(प्र. 021

संख्या: /माध्यमिक/2002

प्रेषक,

जे0 पी0 जोशी,
अनु सचिव,
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

शिक्षा निदेशक एवं सभापति,
उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद,
रामनगर, नैनीताल।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग देहरादून दिनांक 15 मई, 2002

विषय: नेशनल कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय-खानपुर, हरिद्वार को इण्टर साहित्य वर्ग की मान्यता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर सचिव, विद्यालयी शिक्षा एंव परीक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल के पत्र संख्या- मा0शि0प0/रा0/मान्यता/09-10/2002-03 दिनांक 10-4-2002 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय नेशनल कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय-खानपुर, हरिद्वार को इण्टरमीडिएट एक्ट 1921 की धारा-9(4) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यदि उक्त विद्यालय का प्रबन्ध तन्त्र प्रस्ताव पारित करके अधिनियम की धारा-7 क (क) के प्राविधानों के बिना किसी शर्त को अंगीकार करता हो, वर्ष 2004 से इण्टर साहित्य वर्ग की मान्यता प्रदान करते हैं।

2- उक्त मान्यता के सिलसिले में विद्यालय में यदि किन्हीं प्रतिबन्धों/ शर्तों की पूर्ति अवशिष्ट हो तो उन्हें एक निर्धारित अवधि के भीतर संस्थाधिकारियों को उन शर्तों/प्रतिबन्धों की पूर्ति के निर्देश दे दिये जाये।

3- कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सम्पादित की जाये।

भवदीय

(जे0 पी0 जोशी)
अनु सचिव

प्री. (प्र. -04

संख्या: (1)/माध्यमिक/2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर शिक्षा निदेशक, उत्तरांचल, देहरादून।

....2

2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल-पौड़ी।

3- अपर सचिव, उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।

4- जिला विद्यालय निरीक्षक- हरिद्वार।

5- संबंधित विद्यालय।

आज्ञा से,

(जे0 पी0 जोशी)
अनु सचिव

प्रेषक,

मुख्य शिक्षा अधिकारी
हरिद्वार ।

सेवा में,

प्रबन्धक
नेशनल कन्या इ0का0 खानपुर
हरिद्वार ।

पत्रांकः–मा0अशा0/ 1593-94 / अनुभाग/2014–15 दिनांक 08 जून 2014

विषयः–कक्षा 9 ,10,11,एव 12वी में अतिरिक्त अनुभाग खोलने की स्वीकृति ।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक आपके पत्रांक/ने0क0/ अति0 अनु0/ 0352/2014–15 दिनांक 28.5.2014 के द्वारा अतिरिक्त अनुभग खोलने की अनुमति चाही गयी है। प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव दिनांक 2.3.2014 के आधार पर एवं शिक्षा अधिनियम 2006 के अर्न्तगत प्रख्यापित विनियम 2009 के अध्याय सात के प्रस्तर –10(छ) के अनुसार कक्षा– 9 में 05 कक्षा–10 में 03 कक्षा–11 में 02 तथा कक्षा–12 में 03 अतिरिक्त अनुभाग खोलने की अनुमति प्रदान की जाती है। उपरोक्त अनुभगो पर होने वाले समस्त मानवीय एवं भौतिक संसाधनो का व्यय प्रबन्ध तंत्र अपने निजी स्त्रोतो से वहन करेगा ।

भवदीय

मुख्य शिक्षा अधिकारी
हरिद्वार ।

पृष्ठांकन संख्या/मा0अशा0/ /अनुभाग/2014–15 दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि अपर सचिव उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगरं नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
हरिद्वार ।

प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक
हरिद्वार ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
नेशनल कन्या हाईस्कूल,
खानपुर ।हरिद्वार।

पत्रांकः शि0स0/ 8492-93 /2001–02 दिनांक : 13-3-02

विषय: कक्षा 9 एवं 10 में अतिरिक्त अनुभागों की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 02–02–2002 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक 18–07–2001 की प्रमाणित संलग्न करते हुये कक्षा 9 एवं 10 में, एक एक अतिरिक्त अनुभाग की सहमति चाही गयी है । आपके उक्त पत्र एवं प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव सं02 के आधार पर एक एक अतिरिक्त अनुभाग की सहमति माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 7क।क। के अन्तर्गत इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि उपरोक्त अनुभागों पर होने वाले समस्त मानवीय एवं भौतिक संसा–धनों का व्यय प्रबन्ध तंत्र अपेन निजी स्रोतों से वहन करेगा ।

भवदीय,
13/3/02
।एन0एस0 राणा।
जिला विद्यानय निरीक्षक
हरिद्वार ।

पृ0सं0: शि0स0/ /2001–02 तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि, अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

जिला विद्यालय निरीक्षक
हरिद्वार ।

प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक
हरिद्वार ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
नेशनल कन्या उ०मा०वि०,
खानपुर(हरिद्वार)।

पत्रांक: शि०म०/ 2960-63 /9952000 दिनांक: 31-7-99

विषय:- कक्षा 9 संचालन की अनुमति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक गीमो/99 दिनांक 13-7-99 का संदर्भ लें जिसके द्वारा क्षेत्रीय सचिव, मा०शि०प० मेरठ के पत्रांक 388 दि० 6-7-99 की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करते हुये कक्षा 9 के संचालन की अनुमति चाही गयी है।

परिषद द्वारा सीधे हाई स्कूल में कक्षा 9-10 की मान्यता धारा 9(4) के अंतर्गत प्रदान किये जाने के क्रम में एवं आपके पत्र दिनांक 13-7-99 के क्रम में कक्षा 9 संचालित किये जाने की अनुमति इस प्रति बन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि परिषद द्वारा लगाये गये समस्त प्रतिबन्धों की पूर्ति यथासमय आपके द्वारा की जायेगी।

भवदीय,

JPMishra 31/7/99

जिला विद्यालय निरीक्षक
हरिद्वार ।
तद्दिनांक ।

पृ०सं०: शि०म०/ /99-2000

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1- उपशिक्षा निदेशक, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर ।
2- संयुक्त शिक्षा निदेशक, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर ।
3- क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ ।

जिला विद्यालय निरीक्षक
हरिद्वार ।

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधिकारी
हरिद्वार ।

सेवा मे,

प्रबन्धक,
नेशनल कन्या इण्टर कालेज,,
खानपुर ।हरिद्वार।

पत्रांक : शि0स0/ 12654-55(B)/2003-04 दिनांक 18/1/04

विषय : कक्षा संचालन की अनुमति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0 ने0क0/मा0/क0सं0/71/2003 दिनांक 29-12-2003 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा अपर सचिव,उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रामनगर के पत्रांक उ0शि0एवं प0प0/मान्यता/रामनगर/979 दिनांक 29-12-2003 के आलोक में इण्टरमीडिएट विज्ञान एंव वाणिज्य वर्ग में कक्षा संचालन की अनुमति चाही गयी है ।

परिषद कार्यालय द्वारा विद्यालय को प्रदत्त इण्टरमीडिएट विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग की मान्यता के कम में इण्टरमीडिएट स्तर पर विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग में कक्षा संचालन की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि संस्था द्वारा मान्यता पत्र में उल्लेखित समस्त सामान्य व विशेष प्रतिबन्धो की पूर्ति यथासमय की जायेगी व कक्षाओं का संचालन कदापि विद्यालय प्रांगण से बाहर नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

।एन0एस0 राणा।
जिला शिक्षा अधिकारी,
हरिद्वार ।

पृ0सं0 : शि0स0/ /2003-04 तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि, अपर सचिव,उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रामनगर की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।

जिला शिक्षा अधिकारी,
हरिद्वार ।

प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक
हरिद्वार ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
नेशनल कन्या हाईस्कूल,
खानपुर ।हरिद्वार।

पत्रांक : शि0स0/3703-705/2002-03 दिनांक : 17.8.2002

विषय : कक्षा 11 संचालन की अनुमति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 23-7-2002 का अवलोकन करें,जिसके द्वारा अपर सचिव,माध्यमिक शिक्षा परिषद,उत्तरांचल,रामनगर नैनीताल के पत्रसं0क्षे0मा0शि0प0/मान्यता/85 दिनांक 17-5-2002 की छायाप्रति संलग्न करते हुये कक्षा 11 संचालन की अनुमि चाही गयी है ।

आपके उपरोक्त पत्र एवं परिषद कार्यालय द्वारा प्रदत्त इण्टरमीडिएट की मान्यता के कम में कक्षा 11 संचालन की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि परिषद द्वारा मान्यता पत्र में उल्लेखित प्रतिबन्धों की पूर्ति कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाय ।

भवदीय,

।एन0एस0 राणा।
जिला विद्यालय निरीक्षक
हरिद्वार ।

पृ0सं0 : शि0स0/ /2002-03 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि, अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, रामनगर नैनीताल की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

जिला विद्यालय निरीक्षक
हरिद्वार ।

प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक
हरिद्वार ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
नेशनल कन्या हाईस्कूल,
खानपुर (हरिद्वार)।

पत्रांक : शि0स0/3703-705/2002-03 दिनांक : 17.8.2002

विषय : कक्षा 11 संचालन की अनुमति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 23-7-2002 का अवलोकन करें,जिसके द्वारा अपर सचिव,माध्यमिक शिक्षा परिषद,उत्तरांचल,रामनगर नैनीताल के पत्रसं0क्षे0मा0शि0प0/मान्यता/85 दिनांक 17-5-2002 की छायाप्रति संलग्न करते हुये कक्षा 11 संचालन की अनुमति चाही गयी है ।

आपके उपरोक्त पत्र एवं परिषद कार्यालय द्वारा प्रदत्त इण्टरमीडिएट की मान्यता के कम में कक्षा 11 संचालन की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि परिषद द्वारा मान्यता पत्र में उल्लेखित प्रतिबन्धों की पूर्ति कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाय ।

भवदीय,

(एन0एस0 राणा)
जिला विद्यालय निरीक्षक
हरिद्वार ।

पृ0सं0 : शि0स0/ /2002-03 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि, अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, रामनगर नैनीताल की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

जिला विद्यालय निरीक्षक
हरिद्वार ।

मित्तल

मा—19

सेवा में,

प्रेषक,   प्रबन्धक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।

नेमिमल कन्या उ0मा0विद्यालय खानपुर
हरिद्वार

मेरठ, दिनांक 6-7- , 1999

पत्र संख्या : क्षे0 का0, मा0 शि0 प0/मान्यता/ 388

सी० 9-10

विषय: —आपका हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/अतिरिक्त (वर्ग/विषय) की मान्यता का प्रार्थना-पत्र।

धारा 9(4) के अन्तर्गत

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7-क (क) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की 2001 की हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्गों/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्गों/विषयों में वित्त विहीन मान्यता दिये जाने का आदेश प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इस पत्र में अंकित वर्ग/विषय की नवीन 9वीं/11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण, सज्जा, शिक्षण-सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्रामृत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक (मा0) को पूर्णरूपेण संतुष्ट कर उनसे लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाय। बिना उनकी लिखित अनुमति के संचालित कक्षा अमान्य व अनियमित होगी और इसके लिए संस्थाधिकारी ही स्वयमेव उत्तरदायी होंगे।

(2) इस आदेश-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक/मंडलीय उप-शिक्षा निदेशक (मा0) से 9वीं / 11वीं कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय, अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय। इसके लिये सिंगिल सीटेड डेस्क व चेयर्स ही स्वीकार किए जावेंगे।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अंशकालिक अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति नियमानुसार की जाय।

(5) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय।

(6) नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयमेव वहन करें।

(क्रमशः)

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना असत्य पाई जाती है तो विद्यालय की प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।

(ख) प्रबन्ध तन्त्र का इस आशय का पारित प्रस्ताव कि मान्यता हेतु निजी स्रोतों से की जाने वाली अंशकालिक अध्यापकों के सेवायोजना व्यवस्था को अध्यापन कार्य के निमित्त स्वीकार किया जाता है इस हेतु किसी अनुदान की अपेक्षा न कर निजी स्रोत से व्यय वहन किया जायेगा। प्रस्ताव निरीक्षक द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है।

(ग) 80 सेट सज्जा 105-रु० मूल्य की सामग्री क्रय कर वाउचर निरीक्षक से प्रमाणित कराकर एक माह में भेजें।

(घ) 1 वैकल्पिक कक्ष, 1 प्रयोगशालीय कक्ष कुल दो कमरों को छः माह में तैयार कराकर निरीक्षक से प्रमाणित कराकर भेजें।

(ङ) भू अभिलेखों के अनुसार 0.6447 हेक्टेयर भूमि है जो क्रीड़ा स्थल हेतु कमरे/क्रीड़ास्थल हेतु .360 हेक्टेयर भूमि और क्रय कर विद्यालय के नाम रजिस्टर्ड कराया जाय।

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
हाईस्कूल सीधे 9-10	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गृहविज्ञान विज्ञान, समाजिकविज्ञान, नैतिक शारिरिक समाजोपयोगी उत्पादक एवं समाज सेवा कार्य	वाणिज्य

टिप्पणी — (1) कक्षा ----9---- में प्रवेश हेतु कम से कम ---45 छात्र उपलब्ध होने तथा 1 वर्ष में अपेक्षित समस्त प्रतिबन्धों (नियुक्तियों को छोड़कर) की पूर्ति होने के उपरान्त ही निरीक्षक/निरीक्षिका उक्त कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान करें।

(च) प्राईमरी कक्षाएं संचालित न होने का प्रमाण पत्र ~~सम्बन्धित~~ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से प्रमाणित कराकर प्रेषित करें।

नोटः- सभी प्रतिबन्ध छः माह के अन्दर पूर्ण कर जि०वि०नि० से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाय।

भवदीय,

क्षेत्रीय सचिव।

पृष्ठांकन संख्या आई०बी० मान्यता/द/ दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

(1) जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक~~ (मा०)।
(2) मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक।
(3) उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
(4) सचिव, मा० शि० प०, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव।

पी०एस०यू०पी० (आर०ई०) 124 मा०शि०प०/260—31-10-98—10,000 प्रतियां।

मा-19

प्रेषक,

अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तरांचल
रामनगर (नैनीताल)

सेवा में,

प्रबन्धक, नेशनल कन्या हाईस्कूल
ज्वालापुर, हरिद्वार
उत्तरांचल ।

पत्र संख्या : श्री० का०, मा० शि० प०/मान्यता/ 85 रामनगर, दिनांक 17/5/ 200 2

विषय :- आपका XXXX/इन्टरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/XXXXX (वर्ग/विषय) की मान्यता का प्रार्थना-पत्र ।

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संस्तुति के उपरान्त इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987/1921 की धारा 7-क (क)/धारा 9(4) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की 200..4 की XXXX/इन्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/XXXX में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/XXXXX वर्ग/XXX में वित्त विहीन मान्यता दिये जाने का आदेश प्रदान किया है ।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इस पत्र में अंकित वर्ग/XXXX की नवीन XXX/11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण, सज्जा, शिक्षण-सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला विद्यालय निरीक्षक को पूर्णरूपेण संतुष्ट करें। इसके लिए संस्थाधिकारी ही स्वयमेव उत्तरदायी होंगे ।

(2) इस आदेश-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक को XXX/11वीं कक्षा संचालित करने की सूचना दी जाय, अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी ।

(3) सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय। इसके लिए सिंगिल सीटेड डेस्क व चेयर्स ही स्वीकार किये जायेंगे ।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापकार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अंशकालिक अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति नियमानुसार की जाय ।

(5) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय ।

(6) नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयमेव वहन करें ।

(कृ० प० उ०)

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी ।

(ख) विद्यालय में संचालित कक्षाओं हेतु निर्धारित साज - सज्जा शिक्षण सामग्री एवं भवन की पूर्ण व्यवस्था की जाय ।

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टरमीडिएट नवीन साहित्यिक वर्ग	हिन्दी साहि0	अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, चित्रकला संस्कृत ।

टिप्पणी (1) कक्षा......11...................... में प्रवेश हेतु कम से कम ......25...................... छात्र उपलब्ध होने तथा इस पत्र में अंकित समस्त प्रतिबंधों (नियुक्तियों को छोड़कर) की पूर्ति होने के उपरान्त कृपया कक्षा संचालन की सूचना जि0 वि0 नि0 एवं परिषद कार्यालय को प्रेषित करें ।

भवदीय

[signature]

अपर सचिव ।

पृष्ठांकन संख्या आई0बी0/मान्यता/रामनगर

तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) जिला विद्यालय निरीक्षक ....हरिद्वार.............. ।
(2) मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक पौड़ी - गढ़वाल .... ।
(3) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा निदेशालय, उत्तरांचल, 2 सुभाष रोड, देहरादून ।

अपर सचिव ।